कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/यूजी–2023/ 1618 लखनऊ:दिनांक 26/07/2023

यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 की ऑनलाइन काउसिंलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** द्वारा करायी जा रही है। **किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 का नहीं होगा।**

- भारत सरकार द्वारा नामित संस्था के माध्यम से आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 की काउसिंलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- नीट यू0जी0 2023 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क रू0 2,000 (प्रथम व द्वितीय चक्र हेतु) डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस (Non Refundable) नहीं किया जायेगा।

- यदि अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु रु0 2,000/– जमा कराकर प्रतिभाग कर सकता है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस (Non Refundable) नहीं किया जायेगा।

- **रजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय अभ्यर्थी अपना मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0डी0 की जाँच स्वयं कर ले। भविष्य में काउंसिलिंग हेतु किसी भी प्रकार का पत्राचार उक्त मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0डी0 पर ही किया जायेगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित अभिलेखो की स्कैन कापी, जो स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य हो, ऑन–लाईन अपलोड किये जायेगे :–

  - हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट मार्कशीट
  - आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र(OBC/SC/ST/EWS,EX /FF/NCC/PH)
  - डोमिसाईल सर्टिफिकेट शासनादेश के अनुसार (ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनो परीक्षाये अथवा कोई भी एक परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो)
  - **ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित के साथ उत्तीर्ण करने के उपरान्त नीट प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता हेतु जीव विज्ञान विषय के साथ अलग से एकल विषय(Single Subject) के रूप में उत्तीर्ण की हो, उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय उपरोक्त विकल्प में हाँ का चयन करते हुए अपने दोनो प्रमाण–पत्रो को अपलोड करना होगा साथ ही अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट के अंको में अपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के ही अंक भरेंगे।**

- यदि अपलोड किए गये अभिलेख अस्पष्ट अपठनीय होंगे, तो अभ्यर्थी का अभ्यथर्न निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

- आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने मूल शैक्षणिक अभिलेखो का सत्यापन आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर कराना होगा। अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- अभ्यर्थियो द्वारा निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सिक्योरिटी धनराशि डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग ऑन-लाइन जमा किया जाना अनिवार्य है:-

क0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1	राजकीय क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000 (रु0 तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 2,00,000 (रु0 दो लाख मात्र)
3	निजी क्षेत्र की बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 1,00,000 (रु0 एक लाख मात्र)

- सिक्योरिटी धनराशि जमा न होने की स्थिति मे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया से स्वयं बाहर हो जायेंगे। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 2,00,000 जमा करने पर वह राजकीय/निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 की समस्त सीटो हेतु अर्ह माने जायेंगे। अभ्यर्थी अपनी अर्हता का स्वयं आंकलन करे।

- इसी प्रकार रू0 1,00,000 जमा करने पर राजकीय क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 एवं निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजो की बी0डी0एस0 सीटो हेतु अर्ह माने जायेंगे। अभ्यर्थी अपनी अर्हता का स्वयं आंकलन करे।

- रू0 30,000 जमा करने पर केवल राजकीय क्षेत्र एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 की सीटो हेतु अर्ह होंगे।

- सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नही की जायेगी।

- अनावंटित अभ्यर्थियों के **द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी जिस खाते से सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान किया गया है।**

- **आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि प्रवेशित कालेज के माध्यम से वापस की जायेगी।**

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत ही मान्य होंगे।

- सभी अभ्यर्थियो से विशेष रूप से अपेक्षा है कि यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 13.07.2023 एवं विवरण पुस्तिका(ब्रोशर) विभाग की वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/www.upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का भली भाँति स्वयं अवलोकन करें, जिसमे अर्ह/अनर्ह की पात्रता तथा अन्य शर्तों/प्रतिबन्धों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।***

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

- **अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त कालेज/पाठ्यक्रम आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।**

- **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/ अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fee) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे तैयार सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ मे देय हो, प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।**

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित कालेज में पूर्ण की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर ऑफ लाइन सम्पन्न की जायेगी।

- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका **अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2023 अथवा इसके पश्चात् का बना** होना चाहिये।

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, दिव्यांगता/एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र को छोड़ते हुए।

कृते महानिदेशक।